न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :- 78/2018/टोंक (2018/00078)

1. बजरंगलाल पुत्र श्री छीतर रेगर
2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राजपूत
3. गिरधर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह राजपूत
4. सुखदेव पुत्र श्री भागीरथ रेगर
5. गोपाल पुत्र श्री नानगा दरोगा
6. राजकुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार अहीर

समस्त निवासीगण ग्राम नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपलू जिला टोंक
2. रामनारायण पुत्र श्री भैरू जाति गुर्जर निवासी ग्राम नानेर तहसील पीपलू जिला टोंक

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक दिनांक 26.09.2018 प्रकरण संख्या 63/2018.

उपस्थितः-

1. श्री अजित सिंह राठौड, वकील अपीलांट्स । लगायत 6
2. राजकीय अभिभाषक-उपस्थित

निर्णय

दिनांकः-04.03.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.18 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा विद्धान उपखण्ड अधिकारी महोदय पीपलू के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नानेर स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 624 रकबा 02-12-00 बीघा जो वर्तमान में श्री मोती खटीक की खातेदारी में दर्ज है । जिसके उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर काली लाईन से रास्ता अंकित है जिसके खसरा नम्बर 625 रकबा 00-11-00 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता है । उक्त रास्ते के उत्तर में लगते हुए खसरा नम्बर 626 रकबा 03-17-00 बीघा गैर मुमकिन आबादी है जिसमें वर्तमान

अपीलांट्स एंव अन्य ग्रामवासियान के रिहायशी मकान एवं बाडे मुर्तिब है एंव वर्षो से आबादी प्रयोग में चली आ रही है लेकिन वर्तमान में हुए बन्दोबस्त के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 625 को पूर्व स्थान के बजाय खसरा नम्बर 626 में उत्तर दिशा की ओर आगे दर्शा दिया जो लाल लाईन से अंकित है एंव खसरा नम्बर 626 की आबादी भूमि जो पूर्व में दर्शित काली लाईन एंव बन्दोबस्त विभाग द्वारा वर्तमान में दर्शित लाल लाईन जो रास्ता दर्शाया गया है, के मध्य की भूमि को खसरा नम्बर 624 में दर्शा दिया जिससे खसरा नम्बर 626 में जो मकान एंव बाडे मुर्तिब किये गये हैं, के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है जबकि पूर्व में दर्शित रास्ता जो काली स्याही से दर्शित है एंव वर्तमान में दर्शित रास्ता जो लाल स्याही से दर्शित है दोनों ही स्थानों पर कभी भी कोई रास्ता भैतिक रूप से अवस्थित नहीं रहा है वरन खसरा नम्बर 626 जो आबादी भूमि है की उत्तरी मेड के आगे पश्चिम से पूर्व की ओर सरकार द्वारा डामरीकृत सडक निर्मित कराई जा चुकी है एवं पूर्व में भी इसी स्थान पर अवस्थित रास्ता उपयोग में आता रहा है एवं वर्तमान में भी उक्त सडक ही रास्ते के उपयोग एंव उपभोग में ली जा रही है जिससे उक्त दोनों रास्तों को तर्क किया जाकर खसरा नम्बर 625 किस्म रास्ता 626 के उत्तर दिशा में अवस्थित डामरीकृत सडक मार्ग को दुरूस्त कर अंकित किये जाने का निवेदन किया अथवा वर्तमान बन्दोबस्त से पूर्व काली स्याही से दर्शित रास्ते के स्थान पर ही रास्ता दर्शाते हुए नक्शे में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया जिसपर विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2018 को राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित फरमाया गया । राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जबाव एंव मौका पर्चा मात्र के आधार पर लाल स्याही से अंकित रास्ता को सार्वजनिक हित की भूमि होना मानते हुए विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.09.2018 से प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया । विद्धान न्यायालय के समक्ष नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत करने के बाबजूद पूर्व नक्शा ट्रेस में गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 625 काली स्याही से दर्शित है जिसे उत्तर दिशा की ओर खसरा नम्बर 626 किस्म गैर मुमकिन आबादी में लाल स्याही से दर्शा दिया गया एंव उक्त दोनों रास्तों के मध्य की भूमि जौ गैर मुमकिन आबादी खसरा नम्बर 626 की है को खसरा नम्बर 624 में दर्शा दी गयी एंव नये स्थान पर रास्ता दर्शाने के कारण उक्त रास्ते पर मुर्तिब मकान एवं बाडे जो खसरा नम्बर 626 गैर मुमकिन आबादी का रास्ता है, से बेदखल करने हेतु विद्धान तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई जो अनुचित है साथ ही वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 624 रकबा 02-12-00 बीघा जो वर्तमान में श्री मोती खटीक की खातेदारी में दर्ज है को अवैधानिक रूप से लाभान्वित करने के इरादे से आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर दिया गया जो काबिल निरस्त योग्य होकर बन्दोबस्त विभाग द्वारा कारित त्रुटि दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर मुमकिन आबादी खसरा नम्बर 626 में ग्रामवासियों को पूर्व में ही पट्टे जारी किये जा चुके हैं जिस पर ग्रामवासियान के मकान एंव बाडे मुर्तिब है ऐसी स्थिति में विद्धान अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व स्थान पर जहां काली स्याही से खसरा नम्बर 625 रास्ते के रूप में अंकित है दर्शाने का आदेश पारित करना चाहिए था । गैर

मुमकिन आबादी खसरा नम्बर 626 की उत्तरी सीमा के बाद भौतिक रूप से कदीमी रास्ता अवस्थित है जिस पर राज्य सरकार द्वारा डामरीकृत सडक का निमार्ण किया जा चुका है लेकिन नक्शा ट्रेस में उक्त सडक मार्ग रास्ते के रूप में अवस्थित नहीं है जबकि खसरा नम्बर 625 गैर मुमकिन रास्ता जो काली स्याही एंव लाल स्याही से अंकित है भौतिक रूप से मौके पर कभी भी रास्ता अवस्थित नहीं रहा है ऐसी स्थिति में भौतिक स्थिति के मुताबिक नक्शा ट्रेस से तर्क किया जाकर खसरा नम्बर 626 की उत्तरी सीमा के पश्चात् अवस्थित डामरीकृत सडक को खसरा नम्बर 625 के रूप में अंकित किया जाना न्यायोचित था । वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 624 रकबा 02-12-00 बीघा बाबत् माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील डिक्री टी0ए0संख्या 330/2001 आईडी संख्या 2123/2017 जिला टोंक बउनवानी बजरंगलाल बनाम मदनलाल वगैरह विचाराधीन है जिसमें उनके द्वारा दिनांक 21.06.2006 को अन्य आदेश तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखने बाबत् स्थगन आदेश भी जारी फरमाया गया किन्तु उक्त आदेश के विपरीत जाकर विद्धान तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित स्थगन आदेश के आधार पर उक्त आदेश काबिल निरस्त योग्य है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये अधीनस्था न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत तथा रेस्पोडेन्ट के विद्धान वकील द्वारा प्रकरण में बहस किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्षी बहस सुनी गई ।

3- अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस प्रारम्भ करते हुए अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वर्तमान शीट व सेटलमेन्ट पूर्व की शीट में अन्तर है,सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुरानी शीट में दर्ज रास्ते के इन्द्राज को हटाकर नये स्थान पर रास्ते का इन्द्राज कर दिया है जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार से रास्ते बनाने का क्षैत्राधिकार नहीं हैं (प्रस्तुत दृष्टांत RRT-2008(1)151 के अनुसार बन्दोबस्त विभाग को विद्यमान अंकन को परिवर्तन करने का अधिकारी नहीं है), नये रास्ते की भूमि या तो ग्राम पंचायत समर्पित करती है या सक्षम न्यायालय का आदेश होने पर ही इन्द्राज किया जा सकता है इस संबंध में तहसीलदार पीपलू द्वारा वाद के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत लिखित कथन 13.09.2018 में बिन्दु संख्या 6 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बन्दोबस्त विभाग ने पुराने रास्ते को हटाकर नया रास्ता कायम किया है इसप्रकर एक बार स्वीकृति दे दी गई हो तो उस स्वीकृति से मुकर नहीं सकता ।

4- अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के समर्थन में मेरा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों A-RRD-69Page231,B-RRD-73Page74,C-RRT2001 (1)244, D-RRT-2008(1)151 एवं RLW-2003(3)1891 की ओर आकर्षित करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5- रेस्पोडेन्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा बहस के जबाव में कथन किया मुताबिक अभिलेख खसरा नम्बर 625 कुल 00-11-00गै0मु0रास्ता दर्ज है जिसपर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है । वर्तमान में जो प्रचलित रास्ता है वह राजकीय भूमि होने से बन्दोबस्त विभाग द्वारा जनहित में रास्ता दर्ज किया गया है जिसका खसरा नम्बर 625 है जिसपर अपीलांट्स द्वारा

अतिक्रमण किया हुआ है तथा स्वंय के काम के लिए अन्यत्र खसरा नम्बर में से रास्ता निकलवाना चाहते है जिससे राजहित प्रभावित होता है । पटवारी नानेर से आराजी खसरा नम्बर 624,625,626 के बाबत् मौका रिपोर्ट व भू-अभिलेख रिकार्ड लिया गया मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण अपने निजी स्वार्थ हेतु खसरा नम्बर 625 में अंकित रास्ते को अन्य खसरा नम्बर में स्थानान्तरित करवाने की शुद्धि चाहते थे । अतिक्रमणकारी को बतौर अतिक्रमी किसी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं मिलता है । अतः अपीलांट्स अपील खारिज की जावे।

6- हमने उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख सहित विभिन्न दृष्टातों व अदालत हाजा की पत्रावली का अवलोकन करते हुए गंभीरता से मनन किया हम सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित मानते हैं कि खसरा नम्बर 625 रकबा 00-11-00 गै0मु0रास्ता अंकित है किन्तु क्या वर्तमान में प्रचलित रास्ता के रूप में उपयोग व उपभोग में ली जा रही है अथवा नहीं चूंकि तहसीलदार रिपोर्ट एंव पटवारी रिपोर्ट में उक्त भूमि पर अपीलांट्स का अतिक्रमण बताते हुए एवं पटवार मण्डल निर्णय दिनांक 30.05.2018 वर्ष 2018-19 सम्बत् 7025 रबी के अनुसार खसरा नम्बर 625 पर अपीलांट्स का अतिक्रमण मानते हुए इन्हैं बेदखल करते हुए आरोपित से पेनल्टी की शास्ती वसूलने का आदेश जारी किया गया साथ ही ग्राम पंचायत नानेर के कार्यालय नोटिस दिनांक 26.08.2006 से अपीलांट भूपेन्द्र सिंह के पिता को खसरा नम्बर 626 आबादी भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारी मानकर पट्टा नियमन हेतु निर्धारित राशि जमा की मांग की गई जिसपर रसीद संख्या 77 दिनांक 06.01.2007 को राशि रूपये 89040 जमा पायी जाकर आबादी भूमि का विक्रय विलेख रिकार्ड पर है अन्य अपीलांट्स किस हैसियत से राहत की मांग कर रहे है प्रमाणित नहीं है ना ही खसरा नम्बर की त्रुटि दुरूस्त हेतु मिसल/खसरा मिलान क्षैत्रफल ही पत्रावली में उपलब्ध है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 624 का पूर्व अनुसार रकबा है अथवा इसमें कोई कमी या वृद्धि हुई है या खसरा नम्बर 625,626 के रकबे में कोई परिवर्तन हुआ है ? क्या विवादित आराजीयात 626 पर अपीलांट्स बहैसियत पट्टा शुदा काबिज है एवं इनके मकानात बने हुए है जिसपर वह लम्बे समय से काबिज है अथवा अतिक्रमणकारी के रूप में काबिज है ? क्या भौतिक स्थिति के मुताबिक नक्शा ट्रेस से तर्क किया जाकर खसरा नम्बर 626 की उत्तरी सीमा के पश्चात् डामरीकृत सडक को खसरा नम्बर 625 अंकित किया जा सकता है ? जहां तक अपीलांट्स अभिभाषक का यह कथन कि रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 625 के रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने का प्रश्न है अपीलांट्स अनुसार सेट्लमेन्ट के समय सेट्लमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुरानी शीट में दर्ज रास्ते के इन्द्राज को हटाकर नये स्थान पर रास्ते का इन्द्राज कर दिया है जबकि बन्दोबस्त विभाग को नया रास्ता दर्ज करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, इस संबंध में पटवारी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि एवं खसरा नम्बर 626 कुल रकबा 03-17-00 बीघा को गै0मु0आबादी दर्ज रिकार्ड दर्ज है जिसपर सरकार द्वारा आवागमन हेतु सडक बनायी गई है यह सुखाचार की श्रेणी में आता है तहसीलदार की कार्यवाही

जैरकारी है। चूंकि यहां पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा पुराने रास्ते को हटाकर नया रास्ता बनाये जाने पर मौके पर खसरा नम्बर 624 का रकबा बढ गया अथवा नहीं तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 626 जो गैर मुमकिन आबादी भूमि होने के कारण ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था जो नहीं बनाया गया । अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुरूप हम उक्त खसरा नम्बर 624,625,626 का पुनः पैमाइस करवायी जाकर तथा सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने व पुनः विधिसंगत निर्णय पारित किये जाने हेतु अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा प्रकरण विद्धान उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाना उचित समझते हैं ।

–:क्रियात्मक आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 78/2018 (2018/00078) बउनवानी बजरंगलाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपलू जिला टोंक को आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा विद्धान उपखण्ड अधिकारी,पीपलू टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2018 को अपास्त किया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी पीपलू को प्रकरण में पैमाइस व मौका जांच करवाकर एंव उभयपक्षों को सुना जाकर विधिसंगत निस्तारण के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है । इस प्रकरण में न्यायालय हाजा का यह निर्णय उच्चतर न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अध्ययधीन रहेगा । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.30 11:53:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: